"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 सितम्बर 2012—आश्विन 6, शक 1934

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक ई-01-02/2012/एक/2.—श्री अवनीश कुमार शरण, भा.प्र.से. (2009), आयुक्त, नगर निगम, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनिल कुमार, मुख्य सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—201

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2012

संशोधन आदेश

क्रमांक एफ 3-46/2011/गृह-दो.—इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 26-04-2011 के द्वारा थाना बोरी, जिला दुर्ग को ग्राम पंचायत लिटिया, ग्राम-सेमरिया, जिला दुर्ग में स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई थी. अब राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त स्वीकृति को निरस्त करते हुए पुनः ग्राम-बोरी मूल स्थान पर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान करता है.

2. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 364/1002378/ब-1/चार/2012, दिनांक 29-08-2012 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव.

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 1-328/पं.ग्रा.वि.वि./22/2011.—त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की गतिविधियों एवं दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "पंचायत राज संचालनालय" का गठन करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. सिंह, संयुक्त सचिव.

संस्कृति विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 सितम्बर 2012

क्रमांक 1106/948/30/सं./2012.—राज्य शासन एतद्द्वारा शहीद स्मारक भवन के विकास के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति हेतु निम्नानुसार समिति का गठन करता है :—

1.	माननीय संस्कृति मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	पद्मश्री डॉ. महादेव प्रसाद पाण्डे, (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	सदस्य
3.	माननीय श्री केयूर भूषण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी)	सदस्य
4.	माननीय श्री रामअधार तिवारी (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) इन्द्रप्रस्थ कालोनी, रायपुरा, रायपुर	सदस्य
5.	पद्मश्री डॉ. ए. टी. दाबके, जी.ई. रोड, रायपुर	सदस्य
6.	कलेक्टर, रायपुर	सदस्य
7.	आयुक्त, नगर निगम, रायपुर	सदस्य
8.	उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग	सदस्य
9.	संचालक, संस्कृति एवं पुरातत्व, संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर	सदस्य सचिव

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. जी. श्रीवास्तव, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-18/2012/16.—"भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन), अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर, कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना".

(ii) योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य से संबंधित ट्रेड का प्रशिक्षण यथा राजमिस्त्री, प्लंबर, पेंटर, पीओपी, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, एसी रेफ्रिजरेशन, कारपेन्टर इत्यादि तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटीशियन, ड्राईविंग, आटोमोबाईल, सुरक्षा गार्ड एवं समय-समय पर राज्य शासन के तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा चिन्हांकित व्यवसाय हेतु मण्डल द्वारा पंजीकृत हितग्राहियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अनुरूप प्रशिक्षण हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना एवं छत्तीसगढ़ स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन द्वारा अधिकृत संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की कार्यवाही की जावेगी. (पूर्व में श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 10-33/2010/16, दिनांक 29-11-2010 द्वारा अधिसूचित मुख्यमंत्री राजमिस्त्री प्रशिक्षण योजना को भी इस योजना में शामिल किया जाता है.)

(iv) योजना का स्वरूप

(अ) पंजीकृत निर्माण मजदूर के कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण.

(ब) पंजीकृत निर्माण मजदूरों जिस ट्रेड में कार्य करते हैं, उसका प्रमाण पत्र प्रदाय करना. (Direct Certification)

(स) पंजीकृत निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्यों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षित करना. (परिवार से तात्पर्य पंजीकृत श्रमिक के पत्नि/पति एवं बच्चे)

(द) ट्रेड वाईज आवश्यकतानुसार अंग्रेजी का प्रशिक्षण आवश्यक होगा.

(v) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होगा.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

(ii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(iii) योजना हेतु आयु सीमा 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिये.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा.

(ii) निर्माण मजदूर के परिवार के सदस्य की स्थिति में सदस्य एवं पंजीकृत श्रमिक दोनों के हस्ताक्षर होंगे.

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा.

(द) **योजना हेतु व्यय :—**

(i) प्रशिक्षण के दौरान पंजीकृत श्रमिकों को छात्रवृत्ति (जो उपस्थिति के आधार पर अकुशल श्रमिक को देय न्यूनतम वेतन के बराबर होगा.) एवं प्रशिक्षण पर होने वाला व्यय मण्डल द्वारा वहन किया जावेगा. यह लाभ पंजीकृत श्रमिकों को देय होगा, न कि परिवार के सदस्यों को.

प्रशिक्षण के विभिन्न मदों पर होने वाले व्यय का दर मण्डल द्वारा निर्धारित किया जावेगा. भविष्य में केन्द्र अथवा राज्य शासन द्वारा प्रशिक्षण योजना हेतु अनुदान प्रदाय किया जाता है, तो उसका समायोजन किया जावेगा.

(ई) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी को होगा.

(फ) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 10 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 10-13/2012/16.—असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा असंगठित कर्मकारों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "असंगठित कर्मकार समाचार पत्र हॉकर, सायकल सहायता योजना 2012" होगा.

(ii) योजना के अंतर्गत प्रदेश के पंजीकृत असंगठित समाचार-पत्र बांटने वाले (हॉकर) कर्मकार को सायकल प्रदाय किया जावेगा.

(iii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) यह योजना असंगठित कर्मकार समाचार-पत्र बांटने वाले जो प्रदेश के किसी भी जिले में पंजीकृत हो, को समाचार-पत्र बांटने के लिए प्रदाय किया जावेगा.

(ii) योजना का लाभ राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से प्राप्त कर रहा है, तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक के स्वयं के हस्ताक्षरयुक्त आवेदन करने पर.

(ii) आवेदन में पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iii) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत किये गये अधिकारी के कार्यालय में जमा किया जावेगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर, सहायक श्रम आयुक्त अथवा श्रम पदाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा नियुक्त एक अन्य अधिकारी की समिति को होगा.

(ई) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती हैं, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

रायपुर, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक एफ 11-8/2012/16.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन), अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल" के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार योजना बनाती है :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

(i) योजना का नाम "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" होगा.

(ii) यह योजना पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु पेंशन योजना है, जिसका लाभ 18 से 55 वर्ष तक जमा रकम से मिलने वाली पेंशन के रूप में होगा. यदि किसी पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पेंशन प्रारंभ होने से पहले हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को फंड की संपूर्ण राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. यदि नामित व्यक्ति चाहे तो वह पेंशन भी ले सकता है.

(iii) योजना में हितग्राही का न्यूनतम अंशदान रु. 200/- है. हितग्राही किसी भी समयावधि से अपना अंशदान जमा कर सकता है. हितग्राही अपने अंशदान की राशि को अपनी बचत के अनुसार बढ़ा सकता है.

(iv) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" पंजीकृत निर्माणी श्रमिकों के लिए तीन स्तर में प्रभावशील की जावेगी—

— प्रथम चरण में वर्ष 2012-13 में 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए,
— द्वितीय चरण में वर्ष 2013-14 में 35 वर्ष या उससे अधिक आयु के लिए,
— तृतीय चरण में वर्ष 2014-15 से आगे तक 18 वर्ष से 55 वर्ष के समस्त हितग्राहियों के लिये,.

(v) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" के तहत् प्रतिवर्ष रुपये 1,000/- पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रांश राशि के रूप में जमा किया जावेगा एवं प्रतिवर्ष हितग्राही के लिए न्यूनतम अंशदान रुपये 1,000/- में से रुपये 800/- मण्डल द्वारा प्रदाय किया जावेगा एवं रुपये 200/- हितग्राही से संकलित किया जावेगा.

(vi) "मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक स्वावलंबन पेंशन योजना" के प्रावधान के अनुसार 50 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला हितग्राही जमा राशि का 60 प्रतिशत एकमुश्त प्राप्त कर सकता है एवं बकाया 40 प्रतिशत पेंशन के रूप में अदायगी होगी. 50 वर्ष की आयु से पूर्व भी पंजीकृत निर्माण श्रमिक योजना से पेंशन ले सकता है. उस स्थिति में 80 प्रतिशत राशि का प्रयोग पेंशन देने के रूप में किया जायेगा, बशर्ते पेंशन राशि न्यूनतम रुपये 1,000/- प्रतिमाह हो.

(vii) योजना के प्रावधान अधिसूचना दिनांक से प्रभावशील होंगे.

(ब) **योजना हेतु पात्रता :—**

(i) योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों का मण्डल में पंजीयन होना आवश्यक होगा.

(ii) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा उपरोक्त अ (vi) में दर्शाये अनुसार तीन चरणों में यह योजना लागू की जायेगी.

(iii) यदि कोई व्यक्ति राज्य शासन के समानांतर किसी अन्य योजना से लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

(i) आवेदक को स्वयं के हस्ताक्षर से आवेदन करना होगा.

(ii) दो रंगीन फोटो (पासपोर्ट साईज) फोटो पहचान पत्र, निवास तथा आयु प्रमाण पत्र.

(iii) आवेदन में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का पंजीयन क्रमांक अंकित किया जाना आवश्यक है.

(iv) आवेदन संबंधित क्षेत्राधिकारिता के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा.

(द) **स्वीकृति का अधिकार :—**

(i) योजना के अंतर्गत स्वीकृति का अधिकार संबंधित जिले के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी को होगा.

(ई) **योजना का क्रियान्वयन :—**

(i) योजना का क्रियान्वयन हेतु छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा चयनित एग्रीगेटर के माध्यम से किया जावेगा.

(फ) **विसंगति का निराकरण :—**

(i) योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 अगस्त 2012

क्रमांक एफ 1-19/2009/11/6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2011 कहलाएंगे।

   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है; उद्योग संचालक या कोई अधिकारी, जो उसके अधीन हो तथा जिसे सेवा या पद पर नियुक्ति की शक्तियां प्रत्यायोजित की जा चुकी हो या शासन द्वारा तत्पश्चात् प्रत्यायोजित की जाएं।

   (ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिए ली गई परीक्षा;

   (ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

   (घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

   (ङ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों केअधीन भर्ती या पदोन्नति हेतु नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

   (च) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य;

   (छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

   (ज) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा;

   (झ) "लिपिक वर्गीय" से अभिप्रेत है, वह संवर्ग जिसमें कर्तव्य पूर्णत: लिपिकीय एवं गैर कार्यपालक प्रकृति का है;

   (ञ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

   (ट) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

   (ठ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ-8-5-पच्चीस-4-84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा संशोधित नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

   (ड) "संचालक" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के उद्योग संचालक;

   (ढ) "मुख्य निरीक्षक" से अभिप्रेत है, मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़;

   (ण) "निरीक्षकालय" से अभिप्रेत है, वाष्पयंत्र निरीक्षकालय, छत्तीसगढ़;

   (त) "स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत है, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में दिए गए उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात —
(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहें हों;
(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;
(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची–एक में अंतर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होगी:
परन्तु, सरकार समय–समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या एवं वेतनमान में स्थायी या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :—
(क) चयन / प्रतियोगिता परीक्षा, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा;
(ख) अनुसूची–चार के कॉलम 2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;
(ग) उन व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद मूल रूप से/स्थानापन्न रूप से धारण करते हों, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया जाये।
(2) उप–नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची–एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची–दो में दर्शये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।
(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को जिसे या जिन्हें भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके और ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जायेगी।
(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।
(5) सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए मेरिट के आधार पर चयन के लिए शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किये जा सकेंगे। तथापि, विभागाध्यक्ष द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित की जानी चाहिए, जो इन मापदंडों से अन्यथा युक्तिसंगत मापदंड शासन की सहमति से अपना सकेगी।
(6) भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**— इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में सभी नियुक्तियॉ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसीं कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक के द्वारा चयन करने के पश्चात ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पात्रता की शर्तें.**— परीक्षा/चयन में स्पर्धा के लिए पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात–

(एक) आयु– (क) उसने परीक्षा/चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो,

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्षों तक शिथिलनील होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 (दस) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं, या रह चुके हैं, उनकी उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों के अध्यधीन बढ़ायी जा सकेगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी अथवा अस्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हैं, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में नियोजित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो छटनी किया गया शासकीय सेवक है, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं के कारण हो,कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य अथवा किन्हीं भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरंतर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(ड़) ऐसे अभ्यर्थी को, जो "भूतपूर्व सैनिक" हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु–सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण – शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की अवधि तक नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप छटनी की गयी हो अथवा जो अतिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो :–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समयपूर्व सेवानिवृत्त रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतवूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिन्हें :–

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवा मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं, जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों,

(पॉच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है, कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 (दो) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति, तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार धारक युवा अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्षों तक शिथिलनीय होगी।

(झ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडलो के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयं–सेवी, नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नान–कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गयी सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु–सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जाएगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

टिप्पणी– (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो उपर्युक्त खण्ड (घ) (एक) तथा खण्ड (घ) (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन हेतु पात्र पाये गये है, नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात सेवा से त्याग पत्र दे देते हैं। तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात उनकी सेवा या पद से छंटनी की गयी हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

टिप्पणी– (2) किसी भी अन्य मामले में आयु सीमाएँ शिथिल नहीं की जाएंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन के लिए उपसंजात होने के लिए अपने नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(ट) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(ठ) उपर्युक्त उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी एक या एक से अधिक आधार पर छूट दिए जाने के उपरांत भी शासकीय सेवा के लिए पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) शैक्षणिक अर्हताएँ– अभ्यर्थी के पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए, जो अनुसूची–तीन में सेवा के लिए विहित की गई हैं।

(3) **फीस**– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किन्हीं भी अनुचित साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके परीक्षा/चयन में प्रवेश के लिए निरर्हता के रूप में माना जाएगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा तथा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण पत्र जारी न किया हो, परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा/ चयन द्वारा सीधी भर्ती..– प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा एक चयन समिति गठित की जायेगी, जिसमें तीन सदस्य होंगे;

(एक) सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा ऐसे अन्तरालों से आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी समय–समय पर शासन के परामर्श से अवधारित करे।

(दो) परीक्षा समय–समय पर शासन के द्वारा जारी ऐसे आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ली जायेगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**– (क) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करें;

(ख) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा।

(ग) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट प्रावधानों और शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तयों को भरते समय अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के हैं, की नियुक्ति पर विचार उसी क्रम से किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किए गए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये रक्षित रिक्त सीटों पर नियुक्त किये जा सकेंगे।

(6) सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलों में, जहॉ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहॉ नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) विकलांग अभ्यर्थियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ज़ारी निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित होंगे।

12. **चयन समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम से एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा की चयन समिति अवधारित करे, बनाएगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उक्त स्तर के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए, समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गए हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी। सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हैं।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नही हो जाता, जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जॉच करने के बाद, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य होंगे:

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदो के संबंध में पदोन्नति/चयन समिति में अध्यक्षता करने वाले नामांकित सदस्य को छोड़कर कोई अन्य सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो समतुल्य रैंक के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को पदोन्नति/चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर करने के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथा विनिर्दिष्ट उपबंधों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(3) समिति का सम्मिलन ऐसे अंतरालों पर होगा, जो साधारणः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप–नियम (2) में उल्लेखित नियमों तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे कि पदोन्नति की जानी है या शासन द्वारा उनके समतुल्य घोषित किये गये किसी अन्य पद या पदों पर उतने वर्षों की सेवा (स्थानापन्न या मौलिक रूप से) पूर्ण कर ली हो जितनी कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उप–नियम (2) के उपबधों के अनुसार विचारण के क्षेत्र में आते हो।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति– वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी, जिसमें शासकीय सेवक क्रमशः फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और संवर्ग के कार्यग्रहण/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) पदोन्नति हेतु चयन का क्षेत्र छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार विधिमान्य होगा।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानांतरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची चयन सूची तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिये व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदंड वरिष्ठता–सह –उपयुक्तता (सीनियरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) होगी।

(3) ऐसी चयन सूची की तैयारी के समय चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम अनुसूची चार के कॉलम (2) में यथाविर्निष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम से रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्‌वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में दर्शाये गये पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी।

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिए चयन सूची तैयार की जाएगी, उसकी विधिमान्यता चयन सूची के अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलत किसी व्यक्ति की ओर से कर्त्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और यदि विभागीय पदोन्नति समिति उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।
(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख से बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिए उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**– सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्त/पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्षों की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

19. **निर्वचन.**– यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**– इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नही लगाया जाएगा, कि वह राज्यपाल की, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की, जो उसे उचित और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई भी बात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

22. **निरसन और व्यावृत्ति.**—इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. छबलानी, विशेष सचिव.

अनुसूची-एक

(देखिये नियम 4 एवं 5)

सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)
सहायक वर्ग-I	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2800
शीघ्रलेखक वर्ग-तीन	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2800
सहायक वर्ग-दो	2	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2400
लेखापाल	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2400
डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 2200
स्टेनो टायपिस्ट	1	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 1900
सहायक वर्ग-तीन	4	तृतीय श्रेणी (लिपिकीय)	वेतन बैंड रु. 5200-20200 ग्रेड वेतन रु. 1900

अनुसूची—दो
(देखिये नियम 6)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत		
			सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा				
	सहायक वर्ग—एक	01	निरंक	100%	—
	शीघ्रलेखक वर्ग —तीन	01	100%	निरंक	—
	लेखापाल/ सहायक वर्ग—दो	03	निरंक	100%	—
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	100%	निरंक	—
	सहायक वर्ग—तीन	04	75%	25%	—
	स्टेनो टायपिस्ट	01	100%	निरंक	—

टीपः— सहायक वर्ग—तीन के 25% पद उन विभागीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों से भरे जाएंगे, जिन्होंने हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हों और जो पॉच वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

अनुसूची—तीन
(देखिये नियम 8)

विभाग का नाम	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य वाष्पयंत्र निरीक्षकालय तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा				
	शीघ्रलेखक वर्ग—तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त मंडल/संस्था या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से:— (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 30 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन तथा कम्प्यूटर में अंग्रेजी टाईप लेखन क्रमशः 100 शब्द प्रति मिनट तथा 35 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण। (ग) द्विभाषी शीघ्रलेखक के लिये ऊपर खण्ड (क) तथा (ख) में यथाविनिर्दिष्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं कम्प्यूटर में टाईप लेखन का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण। (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री में 10,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए।	......

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 12 वीं (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। अथवा 10 वीं बोर्ड परीक्षा एवं किसी भी विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिये। (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा तथा कम्प्यूटर में हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए ।	
	सहायक वर्ग–तीन	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए (2) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र होना चाहिए, तथा (3) हिन्दी कम्प्यूटर टायपिंग में 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिये।	
	स्टेनो टायपिस्ट	18 वर्ष	30 वर्ष (छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हेतु 35 वर्ष)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्वविद्यालय से उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या (10+2) उत्तीर्ण या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। (2) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ कम्प्यूटर हिन्दी टाईप लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए साथ ही हिन्दी शीघ्रलेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति, तथा (3) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एण्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र उत्तीर्ण होना चाहिए तथा डाटा एण्ट्री का 5,000 की (Key) डिप्रेशन प्रति घण्टे की गति होनी चाहिए।	

अनुसूची–चार
(देखिये नियम 13 एवं 14)

विभाग का नाम	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है।	पदोन्नति हेतु सेवा की न्यूनतम अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है।	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (देखिए नियम 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़				अध्यक्ष– संचालक द्वारा इस निमित्त मनोनीत कोई अधिकारी सदस्य– मुख्य निरीक्षक वाष्पयंत्र सदस्य–निरीक्षक वाष्पयंत्र
	सहायक वर्ग–दो /लेखापाल	5 वर्ष	सहायक वर्ग– I	
	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5 वर्ष	लेखापाल/ सहायक वर्ग–दो	
	सहायक वर्ग–तीन /स्टेनो टायपिस्ट	5 वर्ष	लेखापाल/ सहायक वर्ग–दो	
	चतुर्थ श्रेणी	5 वर्ष	सहायक वर्ग– तीन	

Raipur, the 17th August 2012

No. F 1-19/2009/11/6.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India; the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules relating to the recruitment of Boiler Inspectorate Class-III (Ministerial) Service, namely :—

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh State Boiler Inspectorate Class-III (Ministerial) Service Recruitment Rules, 2012.

   (2) These rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Director of Industries or any officer subordinate to him to whom the powers of appointment to service or post have been, or may hereafter be, delegated by the Government;

   (b) "Examination" means the competitive examination for recruitment to the service to be held under Rule 11 of these rules;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Selection Committee" means selection committee, constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rule;

   (f) "State" means the State of Chhattisgarh;

   (g) "Schedule" means a Schedule appended to these Rules;

   (h) "Service" means Chhattisgarh State Boiler Inspectorate Class III (Ministerial) service;

   (i) "Ministerial" means the cadre where the duties are entirely clerical and of non-executive nature;

   (j) "Scheduled Caste" means the Scheduled Caste as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (k) "Scheduled Tribe" means the Scheduled Tribe as speficied in relation to this State under Article 342 of the constitution of India;

   (l) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizen as speficied by the State Government vide Notification under F-8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (m) "Director" means the Director of Industries, Chhattisgarh;

   (n) "Chief Inspector" means the Chief Inspector of Boilers, Chhattisgarh;

(o) "Inspectorate" means the Boiler Inspectorate, Chhattisgarh;

(p) "Domicile" means a bonafide resident of Chhattisgarh as per directives issued from time to time by the General Administration Department.

3. **Scope and applications.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service.-** The Service shall consist of the following persons, namely:—

(i) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively or in an officiating capacity, the posts specified in Schedule-I;
(ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
(iii) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classifications, scale of pay etc.-** The Classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service, shall be in accordance with the provisions contained in Schedule –I:

Provided that the Government, may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on permanent or temporary basis.

6. **Method of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:—

(a) By direct recruitment by selection/competitive examination;
(b) By promotion of members of the service as specified in column 2 of Schedule-IV;
(c) By transfer/deputation of persons who hold in a substantive/officiating capacity such posts in such services as may be specified in this behalf by the State Government.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts as specified in schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purposes of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by such methods, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Appointing Authority, the exigencies of the service so require; the Appointing Authority may with prior concurrence of the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in said sub-rule, as it may, by orders issued in this behalf, prescribe.

Explanation— The term "Retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary government service of this State or of any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(e) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defense service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation— The term "Ex-serviceman" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to the normal reduction in the establishment not more than three years before the date of his registration at any Employment Exchange or application made otherwise for employment in Government service:—

(i) Ex-Serviceman released under mustering out concessions,

(ii) Ex-Serviceman enrolled for the second time and discharged on:-

(a) completion of short term engagement,

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil unit,

(iv) Officers (Military and Civil) Discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers,

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,

(vi) Ex-serviceman invalidated out of service,

(vii) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(viii) Ex-Servicemen who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 (two) years in respect of Green Card holder candidate under the family welfare programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable upto five years in respect of a awarded superior caste partner of a couple under the Inter-Caste marriage incentive scheme of the Scheduled Tribe, Scheduled Caste and Other Backward Classes welfare Department.

(5) Criteria for selection on merit basis for filling the post by direct recruitment shall be fixed by the Government. However, Head of the Department should set-up a Selection Committee which can adopt other reasonable criteria instead of these criteria with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and the directions issued from time to time by General Administration Department shall be applicable.

7. **Appointment to the service.-** All appointments to the service after the commencement of these rules, shall be made by the Appointing Authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule-6.

8. **Conditions of eligibility of candidates for direct recruitment.-**In order to be eligible to compete at the examination/selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) **Age.—** (a) The candidate must have attained the age as specified in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the examination/selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 5 (five) years if a candidate belongs to a Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 10 (ten) years to a woman candidate in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provisions for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate, who is a permanent Government servant shall not be more than 38 years of age;

(ii) A candidate holding a temporary post including work charge employees, contingency paid employees and person employed in project implementing committee, applies for any other post should not be more than 38 years of age;

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(h) The upper age limit shall also be relaxable upto five years in respect of "Shaheed Rajiv Pandey Award, Gundadhar Award, Maharaja Praveer Chand Bhanjdev Samman and National Youth Award holder young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable upto a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation / Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guard and Non-Commissioned Officers of Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable..

Note- (1) Candidates, who are admitted to the examination/ selection under the age concessions mentioned in sub-clause (d) (i) and (d) (ii) of above shall not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after taking the examination / selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.

(2) In no other case will these age limit be relaxed. Departmental candidates must obtain previous permission of their Appointing Authority to appear for the examination/selection.

(k) In respect of upper age limit the directive of Appointing Authority issued from time to time will also be applicable.

(l) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above.

(2) **Educational Qualifications.**-The candidate must posses the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(3) **Fees.** - The candidate must pay the fee prescribed by the Appointing Authority.

9. **Disqualification.**- Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any illegal means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for admission in the examination / selection.

10. **Appointing Authority's decision about the eligibility of candidates shall be final.**- The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination / interview shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Appointing Authority shall be admitted to the examination / interview.

11. **Direct recruitment by Competitive Examination/Selection.- (1) Direct recruitment by Competitive Examination-** Appointing Authority shall constitute a selection committee comprising of three members;

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine, in consultation with the Government, from time to time;

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) Direct Recruitment by Selection.- (a) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine;

(b) The selection of candidates shall be done by the Selection Committee based on their interview;

(c) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No.21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are member of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes selected by the Appointing Authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, thirty percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision For Appointment of Women) Rule, 1997.

(7) In such cases, where experience for some period has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in by direct recruitment and if is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserved post for disabled candidate in accordance with the directions issued by the General Administration Department.

12. List of the candidates recommended by the selection committee.- (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as may be determined by the Selection Committee and a list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by the such standard, but are declared by the committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency in administration shall be sent to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of Chhattisgarh Civil Service (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. Appointment by promotion.- (1) There shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the promotion/selection committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the promotion/selection committee and the number of members of promotion/selection committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion to the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) there of, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time shall apply.

(3) The Committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the methods described in sub-rule (2) and instructions issued by the General Administration Department of Government from time to time.

14. Conditions of eligibility for promotions / Transfer.- (1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service, (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or on any other posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (3) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation— Method of computation for Eligibility for Promotion- (1) The calculation of the period of qualifying services on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee / Scrutiny Committee is called for meeting is done from the year when the Government Servant has attained the pay scale of the respective feeder cadre/part of the service / pay scale of the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) The field of selection for promotion shall be valid in accordance with the Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

15. Preparation of a list of suitable candidate.- (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare list of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 14 above and are held by the Committee to be suitable for promotion / transfer to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The Criteria for preparation of the select list of persons for promotion, shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The name of the employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts, as specified in column (2) of schedule IV at the time of preparation of such select list.

Explanation— The person, whose name is included in the select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. Select list.- (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall form the select list for promotion of the members of service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (4) of said Schedule.

(2) The select list prepared in a Calendar Year for promotion shall be valid for one year from the date of approval of the select list:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Departmental Promotion Committee may, if it think fit, remove the name of such person from the select list.

17. **Appointment to the service from the select list.-** (1) Appointment of the employees included in the select list to the posts borne on the cadre of the service shall be followed in accordance with the provisions of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rule, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before the appointment of a person, whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom, these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt within any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Saving.-** Nothing in these rules shall affect reservation and other conditions required to be provided for Scheduled Caste / Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

22. **Repeal and Saving.-** All rules in force immediately before commencement of these rules are hereby repealed in respect of subjects covered by these rules:

Provided that any order made or any action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. CHHABLANI, Special Secretary.

SCHEDULE - I
(See Rule 4 &5)

Name of Posts included in the service	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
(1)	(2)	(3)	(4)
Assistant Grade – I	1	Class II' (Ministerial)	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
Stenographer Grade –III	1	Class III (Ministerial)	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2800
Assistant Grade II	2	Class III (Ministerial)	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
Accountant	1	Class III (Ministerial)	Pay Band Rs.5200-20200 Grade Pay Rs. 2400
Data Entry Operator	1	Class III (Ministerial)	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2200
Steno Typist	1	Class III (Ministerial)	Pay Band Rs.5200-20200 Gade Pay Rs. 1900
Assistant Grade III	4	Class III (Ministerial)	Pay Band Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 1900

SCHEDULE - II
(See Rule 6)

Name of Department	Name of Service/Post	Total No. of Duty Posts	Percentage of the number of posts to be filled in		
			By Direct Recruitment	By Promotion of substantive members of the service	By transfer of persons from other services
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce & Industry Department Chhattisgarh	Chhattisgarh State Boiler Inspectorate Class-III (Ministerial) Service				
	Assistant Grade I, 01		Nil	100%	
	Stenographer Grade III, 01		100%	Nil	
	Accountant/ Assistant Grade II, 03		Nil	100%	
	Data Entry Operator, 01		100%	Nil	
	Assistant Grade III, 04		75%	25%	
	Steno Typist, 01		100%	Nil	

Note:- Twenty five percentage posts of Assistant Grade-III shall be filled from those departmental class-IV employees who have passed higher secondary examination and have completed 5 years of service.

SCHEDULE - III
(See Rule 8)

Name of Department	Name of Service/ Post	Minimum age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce and Industry Department Chhattisgarh	Chhattisgarh State Boiler Inspectorate Class-III (Ministerial) Service				
	Stenographer Grade- III	18 Years	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	(1) Should have passed Higher Secondary or (10+2) or passed 1st year graduation course from any recognized Board/ University. (2) From any recognized Board/Institution or Shorthand and Typing Council:- (a) Passed Hindi Shorthand and Hindi Typing in Computer with speed of 100 wpm and 30 wpm respectively for Hindi Stenographer. (b) Passed English Shorthand and English Typing in Computer with speed of 100 wpm and 35 wpm respectively for English Stenographer. (c) Passed certificate course of Hindi and English Shorthand and Typing in computer as specified in clause (a) and (b) above for bi-lingual Stenographer. (3) Should have one year Diploma/Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institute and should have speed of 10,000 key depression per hour in data entry.	---

Name of Department	Name of Service	Minimum age Limit	Upper Age Limit	Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Commerce and Industry Department Chhattisgarh	Data Entry Operator	18 Years	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	(1) Should have passed 12th (10+2) Examination from any recognized Board. Or Should have passed 10th Board Examination and three years diploma course in any subject. (2) Should have one year Diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute and speed of 8,000 key depression per hour in computer in Hindi and English.	
	Assistant Grade-III	18 Years	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	(1) Should have passed (10+2) Examination from any recognized Board, (2) Should have one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/ Programming from any recognized institute, and (3) Should have speed of 5,000 key depression per hour in Hindi Computer Typing.	
	Steno Typist	18 Years.	30 Years (35 Years for domicile of Chhattisgarh)	(1) Should have passed Higher Secondary Examination or passed (10+2) or 1st year examination of Graduation Course from any recognized Board/ University, (2) Should have passed Computer Hindi Typing examination with speed of 25 wpm along with speed of 60 wpm in Hindi Stenography from any recognized Board/Institute, and (3) Should have passed one year Diploma/ Certificate in Data Entry Operator/Programming from any recognized institute and should have speed of data entry 5,000 key depression per hour.	

SCHEDULE - IV
(See Rule 13 &14)

Name of the Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Minimum Period of Service for Promotion	Name of Service or Posts to which promotion is to be made	Name of members of Departmental promotion committee (Vide Rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Department of Commerce and Industry, Chhattisgarh				Chairman - Any officer nominated by the Director on his behalf Member - Chief Inspector of Boilers Member - Inspector of Boilers
	Assistant Grade II/ Accountant	5 Years	Assistant Grade I	
	Data Entry Operator	5 Years	Accountant/ Assistant Grade II	
	Assistant Grade III/ Steno Typist	5 Years	Accountant Assistant Grade II/	
	Class IV	5 Years	Assistant Grade III	

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 67/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	खोखरा प. ह. नं. 26	0.640	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत खोखरा माइनर क्रमांक-3 के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 10 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 68/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	पुसौर	खोखरा प. ह. नं. 26	1.095	कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, रायगढ़.	केलो परियोजना अंतर्गत खोखरा माइनर क्रमांक-3 के नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक 131/अ-82/वर्ष 2010-11.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	पैरी प.ह.नं. 29	0.05	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	पैरी-चौरेल मार्ग पर तान्दुला नदी में पुल व पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, गुण्डरदेही के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/132/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	पैरी प.ह.नं. 29	0.04	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/133/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	चिचलगोंदी प. ह. नं. 20	1.14	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन. संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के चिचलगोंदी माइनर के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/134/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	नवागांव प. ह. नं. 21	1.09	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के नवागांव माइनर के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/135/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	कोड़ेवा प. ह. नं. 24	1.16	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के कोड़ेवा माइनर के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/136/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	चंदनबिरही प. ह. नं. 21	1.50	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के चंदनबिरही माइनर के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/137/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	सांकरी प. ह. नं. 29	0.55	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के सांकरी माइनर के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बालोद, दिनांक 16 अगस्त 2012

क्रमांक/138/अ-82/वर्ष 2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालोद	गुण्डरदेही	खेरूद प. ह. नं. 24	1.13	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद, जिला-बालोद (छ.ग.)	प्रस्तावित मोहलई व्यपवर्तन योजना के खेरूद माइनर के अंतर्गत.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. एल्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक/7911/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गोड़री प. ह. नं. 21	0.404	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अर्जुनी सालिकझिटिया माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक/7912/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	अर्जुनी प. ह. नं. 22	7.165	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के अर्जुनी सालिकझिटिया माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक/7913/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	पैरी प. ह. नं. 22	1.639	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के सिंगपुर माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक/7916/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	तुमड़ीबोड़ प. ह. नं. 03	0.889	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के कोपेडीह माइनर के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 14 सितम्बर 2012

क्रमांक/7917/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	मेंढ़ा प. ह. नं. 22	4.622	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक/7918/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	सालिकझिटिया प. ह. नं. 21	2.018	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक/7919/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गोड़री प. ह. नं. 21	2.089	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन बैराज संभाग, डोंगरगांव.	सूखानाला बैराज के मेढ़ा डिस्ट्रीब्यूटरी के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/7960/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	गनेरी प. ह. नं. 12	0.659	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	गनेरी से चिचदो मार्ग पर सूखानाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/7961/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगांव	चिचदो प. ह. नं. 12	0.242	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	गनेरी से चिचदो मार्ग पर सूखानाला पर उच्चस्तरीय पुल मय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 सितम्बर 2012

क्रमांक 04 क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	औराईकला प.ह.नं. 38	30.35	कार्यपालन यंत्री, (सिविल) भू-अर्जन 2×500 मे. वा. मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना जांजगीर-चांपा (छ.ग.)	2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत राखड़ बांध निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/800/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	छवारीपाली प.ह.नं. 22	3.38	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	माड व्यप. योजना के छवारीपाली माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/801/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	खोरसिया प.ह.नं. 19	9.01	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के खोरसिया माइनर एवं सब माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/802/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मड़वा प.ह.नं. 24	2.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के मड़वा माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/803/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	राधापुर प.ह.नं. 19	2.26	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के गोविंदपुर माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 18 सितम्बर 2012

क्रमांक/804/क/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	जवाली प.ह.नं. 22	2.68	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	मांड व्यप. योजना के साराडीह माइनर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./7/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	धरहर प. ह. नं. 3	9.16	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग).

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2009-10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मरवाही	ऐंठी प. ह. नं. 3	3.50	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, पेण्ड्रा संभाग, पेण्ड्रारोड.	सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग).

भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 3 सितम्बर 2012

रा.प्र.क्र. 01/अ-82/2011-2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़
- (ख) तहसील-जशपुर
- (ग) नगर/ग्राम-गम्हरिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.668 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	239	0.668
योग		0.668

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अटल विहार योजना के अन्तर्गत आवासीय भवन का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, जशपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक/7920/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-देवकट्टा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.97 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	685/1	0.12
	686/4	0.05
	683	0.03
	687/1	0.10
	687/2	0.10
	687/3	0.12
	678	0.45
	737	0.03
	667	0.15
	740	0.10
	743	0.15
	756/1	0.17
	756/2	0.15
	768	0.20
	769/1	0.15
	772/1	0.11
	771/2	0.07
	772/2	0.07
	771/1	0.07
	771/3	0.07
	779/1	0.20
	780	0.16
	781	0.15
योग	23	2.97

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अन्तर्गत रीवांगहन माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक/7921/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बेलगांव, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.79 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
127	0.05
128	0.16
129	0.15
132	0.45
133	0.26
141/1	0.22
207/1	0.10
207/2	0.60
216	0.15
217	0.10
222	0.21

(1)	(2)
202	0.16
252	0.02
200	0.07
251	0.09
221	0.07
253	0.09
254/1	0.07
255	0.29
256	0.19
257	0.15
690	0.06
218	0.08
योग 23	3.79

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवकट्टा जलाशय के अन्तर्गत बेलगांव माइनर क्रमांक-1 के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 20 सितम्बर 2012

क्रमांक/8044/भू-अर्जन/2012.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मचानपार, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.437 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
491/1	0.121
376/2	0.069
374	0.065
372/1	0.020
375/5	0.024
167	0.065
373	0.049
375/4	0.141
329/1	0.150
371/1	0.004
147/7	0.028
333/10	0.036
333/8	0.065
332/1	0.057
332/3	0.097
309/2	0.020
308/5	0.077
308/6	0.109
307	0.016
306/1	0.004
228/6	0.008
295/2	0.045
228/5	0.012
295/3	0.004
310	0.061
311	0.008
293/3, 294	0.105
267/1-2-3-4	0.057
266/1	0.049
265/1	0.028
265/2	0.024
264/1	0.024
228/1	0.008
264/3	0.012
258/1	0.084
263/1	0.061
248/1	0.008
147/1	0.004
262/1	0.008
256	0.008
170/1	0.016
180/3	0.004
169/4	0.016
169/9	0.008
170/2	0.028
261/1	0.020
147/6	0.040

	(1)	(2)
	169/5	0.073
	166	0.146
	169/2	0.004
	169/3	0.004
	165/2	0.069
	147/2	0.057
	147/5	0.020
	181/3	0.032
	180/1	0.065
योग	56	2.437

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सूखानाला बैराज के मचानपार माइनर के अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बलौदाबाजार, दिनांक 8 अगस्त 2012

क्रमांक/भू-अर्जन/2012/प्र.क्र. 7अ/82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलौदाबाजार-भाठापारा
- (ख) तहसील-बलौदाबाजार
- (ग) नगर/ग्राम-कारी, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.876 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	675, 676/2	0.024
	698/1	0.052
	704/1, 705/1	0.076
	706	0.040
	709	0.032
	710/3	0.121
	714/2	0.116
	1604/1	0.032
	761	0.206
	784	0.012
	588	0.181
	590/4, 590/5, 591	0.680
	708	0.052
	1598	0.016
	759/1	0.096
	674/2	0.133
	589/1	0.168
	589/2	0.208
	589/3	0.172
	727	0.080
	760	0.117
	668/3	0.012
	672	0.214
	707	0.028
	783/3	0.016
	673	0.044
	781	0.048
	782	0.128
	762	0.032
	676/1, 677	0.202
	1604/2	0.020
	678	0.101
	728	0.004
	783/1	0.211
	783/2	0.202
योग	40	3.876

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश सुकुमार टोप्पो, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर 2012

क्रमांक/181/भू.अ./अ.वि.अ./10 अ./82 वर्ष 2011-12.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-आरंग
(ग) नगर/ग्राम-बरौदा, प. ह. नं. 72/15
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.80 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	788/2	1.80
योग	1	1.80

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर परियोजना अन्तर्गत भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के नये कंट्रोल टावर एवं फायर स्टेशन के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2012

क्रमांक/183/क्र./वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र. 29/अ. 82 वर्ष 2010-11.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-अभनपुर
(ग) नगर/ग्राम-उपरवारा, प. ह. नं. 137/16
(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.65 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	23	0.14
	24	0.05
	25	0.11
	49/1	0.96
	62	0.34
	92	0.25
	101	0.72
	451	0.22
	452	0.22
	453	0.20
	454	1.30
	1540	0.25
	1543	0.44
	1589	0.72
	1590	0.41
	1748	0.14
	1750	0.24
	1753	0.15
	1767	0.19
	1839	0.16
	1840/1	0.11
	1845	0.11
	1846	0.03
	1851	0.10
	1852	0.09
योग	25	7.65

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-नया रायपुर विकास एवं निर्माण योजनांतर्गत रेल्वे लाईन निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 8 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-लरकेनी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.94 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
651/1ग	0.04
651/1ख	0.03
563/1	0.16
651/2	0.05
633/2	0.13
661/2	0.04
663/3	0.06
633/1	0.18
663/2	0.14
631/2	0.10
632/1	0.02
632/2	0.03
625/1	0.10
630/1	0.11
625/2	0.09
245	0.07
246	1.10
376/1	0.42
377	0.32
34/1, 35/3	0.11
376/5	0.02
376/4	0.02
376/3	0.02
374	0.13
375	0.02
247	0.12
367/2	0.02
371	0.42
271/1	0.22
271/2	0.09
368/2	0.08
306/3, 307/2	0.02
368/1	0.11
346/3	0.20
369	0.20
273/1	0.10
296/5	0.10
348	0.49
313	0.60
108	0.19
106, 107	0.56
9	0.80
114/2	0.10
10	0.12
35/5	0.03
36	0.16
7/6, 35/1	0.02
35/4	0.02
37/2	0.17
37/1	0.10
297	0.24
योग 51	8.94

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

क्रमांक 6/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मरवाही
- (ग) नगर/ग्राम-धनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
859/1	0.22
835/1	0.05
860	0.06
835/2	0.08
83/3	0.04
677	0.05
851	0.07
156/6	0.02
839	0.10
840	0.12
156/2	0.03
672	0.06
843	0.04
33	0.03
37	0.04
655/2	0.03
656	0.02
657	0.01
658/2	0.02
188/5	0.01
188/1	0.01
188/2	0.04
189/1	0.03
185	0.07
191	0.05
165/1झ	0.02
192/1	0.01
192/2	0.01
127/5	0.04
192/5	0.09
182	0.01
184	0.02
181	0.03
172	0.15
170/2	0.04
173/1	0.07
84/1	0.05
170/1	0.04
186	0.03
169/2	0.05
166/2	0.01
169/3	0.03
81/1	0.02
156/11	0.01
156/9	0.01
165/3	0.01
165/1छ	0.03
169/4	0.03
165/1ट	0.02
166/1	0.01
169/1	0.02
165/1ज	0.03
165/1ण	0.01
165/1न	0.02
72/6	0.02
74	0.02
127/1	0.06
75/3	0.02
76/2	0.01
77/2	0.01
51/1	0.02
51/2	0.02
51/4	0.01
78/3	0.01
79	0.03
48/2	0.04
47/2	0.08
81/1	0.02
83/1	0.03
83/2	0.03
5/1	0.32

(1)	(2)
39	0.03
115/1	0.08
119	0.10
35	0.04
36	0.05
114	0.10
38/1	0.01
38/2	0.02
126/1	0.10
70/3, 71/3	0.03
2	0.02
5/6	0.02
165/1त	0.06
165/1ठ	0.02
188/3	0.01
865	0.24
योग 81	3.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 13 अगस्त 2012

रा.प्र.क्र./9/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मरवाही
(ग) नगर/ग्राम-निमधा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.10 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
358/1	0.02
359/1	0.03
751/1, 752	0.04
530	0.11
747	0.07
385	0.47
386	0.06
369	0.24
791/8	0.18
534/2	0.08
811/1	0.14
356/1	0.09
356/3	0.14
526	0.02
824/7	0.11
366/1, 368/2	0.14
748/3	0.17
534/1	0.09
824/13	0.11
515	0.02
389/2	0.14
532	0.20
748/1	0.18
784/1	0.29
524	0.12
537	0.20
384/2	0.14
824/5	0.10
778/8	0.10
779/3	0.28
387/2	0.09
785/2	0.16
538	0.28
531	0.15
392/4	0.03
393/8	0.03
748/2	0.17
750	0.36
392/5	0.06
392/9	0.03
359/4, 364/1	0.40
384/1	0.11
567/2	0.03
811/2	0.15

	(1)	(2)
	814/1	0.09
	824/6	0.11
	784/3	0.23
	355/1	0.05
	791/21	0.16
	810/1	0.18
	512	0.07
	513	0.08
	392/6, 393/6	0.06
	390	0.14
	395	0.10
	540/2	0.08
	785/1	0.15
	528	0.22
	384/3	0.10
	824/4	0.16
	536	0.11
	566/11	0.03
	824/8	0.11
	567/3, 567/4	0.06
	567/1	0.28
	566/5	0.17
	566/9	0.11
	566/8	0.04
	566/4	0.05
	392/1	0.03
योग	65	9.10

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सेवरा धनपुर सिवनी मार्ग (मुख्य जिला मार्ग) हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रारोड के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लछनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-8.15 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	28	0.27
	30	0.86
	106/1	0.45
	105/1	0.66
	105/2	0.86
	122	1.20
	125	0.05
	104/1	0.12
	104/2	0.03
	119/1	0.18
	121/1	0.06
	121/2	0.06
	121/3	0.10
	151	0.24
	119/2	0.29
	119/3	0.29
	116	0.07
	117/1	0.01
	117/2	0.01
	117/3	0.01
	117/4	0.01
	117/5	0.02
	117/6	0.02
	118	0.08
	418/2	0.15
	454/2	0.32
	454/1	0.95
	4531, 2	0.28
	453/4	0.20
	452	0.20
	594/5	0.10
योग		8.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर
- (ग) नगर/ग्राम-लोफंदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.39 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
414/1	0.57
415	2.22
421/1	0.37
426/4	0.07
418/6	0.03
418/7	0.11
418/8	0.03
421/3	0.18
433/1	0.26
434/4	0.55
योग	4.39

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-लछनपुर व्यपवर्तन योजना एल.बी.सी. नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-केवटाडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
157/5	1.00
155/2	0.23
156	0.29
157/4	0.02
157/7	0.09
157/2	0.13
157/6	0.19
154/6	0.13
154/7	0.10
योग	2.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरारी एनीकट योजना निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2012

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 18/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-मस्तूरी
- (ग) नगर/ग्राम-भटचौरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.14 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
280/2	1.00
280/3	1.00
280/4	1.00
280/9	1.00
280/10	1.00
280/12	1.14
योग	6.14

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हरदी व्यपवर्तन योजना निर्माण कार्य.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 7 सितम्बर 2012

क्रमांक 28 क/भू-अर्जन/2011.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जांजगीर
- (ग) नगर/ग्राम-कुलीपोटा, प. ह. नं. 42
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.30 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1347/9, 1349/14	0.65
	1347/10, 1349/15	0.65
योग	2	1.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-2×500 मेगावाट मड़वा तेन्दूभाठा ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत डायरेक्ट रोड निर्माण हेतु. (पूरक प्रकरण)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

दुर्ग, दिनांक 3 सितम्बर 2012

क्रमांक 5076 व.भू.उ./नग्रानि/2012.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बेमेतरा निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को सम्यक् रूप से अंगीकृत किया जाता है. इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चात्मक होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत किया गया है.

अनुसूची

बेमेतरा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - पिकरी, बेमेतरा तथा मोहभट्ठा ग्राम की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में - मोहभट्ठा तथा कोबिया ग्राम की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में - कोबिया तथा सिंघौरी ग्राम की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में - सिंघौरी तथा पिकरी ग्राम की पश्चिमी सीमा तक.

उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर छ.ग. राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए निम्नलिखित स्थल पर सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन को छोड़कर खुला रहेगा.

निरीक्षण स्थल :— मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.)

विनीत नायर,
संयुक्त संचालक.